न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0–464 सन् 2015

मीरा कुंअर.....वादिनी

बनाम

बच्चा सिंह व अन्य .....प्रतिवादीगण

दिनांक– 18.04.2022

वादी की ओर से हाजिरी दी गई। आज अभिलेख वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 25.10.2021 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि इस वाद के प्रतिवादी सं0 05 चंद्रिका सिंह की मृत्यु अपने निवास स्थान पर दिनांक 02.05.2021 को हो गया। इसलिए प्रतिवादी सं0 05 चंद्रिका सिंह का नाम अर्जीदावी से कलमजद कर उनके वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करना न्यायहित में आवश्यक है। प्रतिवादी सं0 06 राघव गिरी की मृत्यु अपने निवास स्थान पर दिनांक 04.01.2021 को हो गया। पुनः प्रतिवादी सं0 13 गोरख सिंह की मृत्यु दिनांक 15.01.2020 को अपने निवास स्थान पर हो गया। वादी का आगे कथन है कि प्रतिवादी सं0 14 देव नारायण सिंह की मृत्यु दिनांक 15.03.2015 को अपने निवास स्थान पर हो गया। उनके वारिसान पूर्व से ही वादपत्र में प्रतिवादी सं0 16 वो 17 प्रतिस्थापित हैं। पुनः वादी का आगे कथन है कि प्रतिवादी सं0 16 जवाहर गिरी अपने निवास स्थान पर दिनांक 08.02.2014 को नावल्द मृत्यु हो गया। पुनः आगे वादी का कथन है कि प्रतिवादी सं0 14 कपिल गिरी की मृत्यु दिनांक 03.07.2016 को नावल्द अपने निवास स्थान पर हो गई। अतः निवेदन है कि उपर्युक्त प्रतिवादीगण की मृत्यु के पश्चात् उनका नाम वादपत्र से कलमजद

किया जाना न्यायहित में आवश्यक है और उपरोक्त मृत प्रतिवादीगण के वारिसानों को प्रतिस्थापित किया जाना भी न्यायहित में आवश्यक है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0 05, 06, 13, 14, 16 वो 17 का नाम वादपत्र से कलमजद कर आवेदन में लिखित उनके वारिसानों को वादपत्र में प्रतिस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 14.02.2022 को उपर्युक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल कर कथन है कि आवेदन पत्र के कंडिका–1 में वर्णित मृत्यु की तिथि सही है परंतु वारिसानों में उनकी पत्नी का नाम छुपा लिया गया है। आवेदन पत्र के कंडिका–2 में वर्णित मृत्यु की तिथि गलत है सही मृत्यु की तिथि 03.01.2021 है तथा वारिसानों में उनके मृत पुत्र दिलीप गिरी के पत्नी गुड़ियां देवी वो उनके बच्चों को छुपा लिया गया है। आवेदन पत्र के कंडिका–4 में मृत्यु की तिथि सरासर गलत है वे काफी पूर्व मर चुके हैं। आवेदन पत्र के कंडिका–5 में जवाहर गिरी का मृत्यु वर्ष सरासर गलत है सही मृत्यु वर्ष 1982 है। यह बात भी गलत है कि कपिल गिरी का कोई संतान नहीं है, जबकि जितेन्द्र गिरी, विरेन्द्र गिरी वो संजय गिरी तीनों कपिल गिरी के वारिसान है जिसमें जितेन्द्र गिरी वो विरेन्द्र गिरी की मृत्यु हो चुकी है। जितेन्द्र गिरी की पत्नी बेबी देवी पुत्र राजु गिरी वो सोनू गिरी तथा विरेन्द्र गिरी की पत्नी शारदा देवी वो पुत्रियां बुच्ची कुमारी वो कुमकुम कुमारी जायज वारिसान हैं। जिन्हें प्रतिस्थापना आवेदन में कोई स्थान नहीं देते हुए बिल्कुल छुपा लिया गया है। वादिनी के द्वारा दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन अधूरा, अस्पष्ट वो काल बाधित है जो खारिज होने योग्य है। अतः वादिनी का आवेदन पत्र दिनांक 25.10.2021 को खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत

बंटवारा वाद में प्रतिवादी सं0 05 चंद्रिका सिंह, प्रतिवादी सं0 06 राघव गिरी, प्रतिवादी सं0 13 गोरख सिंह, प्रतिवादी सं0 14 देव नारायण सिंह प्रतिवादी सं0 16 जवाहर गिरी वो प्रतिवादी सं0 17 कपिल गिरी पक्षकारगण थे जिनकी मृत्यु के पश्चात् उनके वारिसानों को प्रतिस्थापित करने हेतु यह प्रतिस्थापना आवेदन वादिनी की ओर से दाखिल किया गया है। प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल प्रतिउत्तर से विदित है कि वादिनी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन में कुछ प्रतिवादीगण की मृत्यु की तिथि गलत अंकित है और कुछ बातों को छुपा लिया गया है जैसा कि प्रतिवादीगण के द्वारा आरोपित किया गया है। अतः वादिनी को निर्देश दिया जाता है कि वे प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल प्रतिउत्तर के आलोक में वस्तुस्थिति को स्पष्ट करते हुए नियमानुकूल प्रतिस्थापना आवेदन दाखिल करें।

वाद दिनांक 20.06.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर सारण।